अंक ४८ नई दिल्ली, फरवरी २०१४ [निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिसिंग से अपराधियों में भय और जनता भयमुक्त होनी चाहिए'

श्री वी. एम. कंवर

श्री वी.एम. कंवर, पूर्व डी.जी.पी., मध्य प्रदेश द्वारा पुलिसिंग संबंधी विशेष मुद्दों और थाना स्तर के पुलिसकर्मियों की समस्याओं और चुनौतियों पर जीनत मलिक द्वारा ई–मेल से लिए गये साक्षात्कार का प्रथम भाग प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि आपने 'थाना' विषय पर शोध किया है। कृपया बतलाएं कि आपने अपने शोध के लिए इसी विषय का चयन क्यों किया?

पुलिस थाना, पुलिस विभाग की मूल व मुख्य इकाई है। थानों की कार्यप्रणाली, कार्य क्षमता व प्रभावशीलता पर ही उस क्षेत्र की पुलिस की छवि निर्भर रहती है व आम जनता की सुरक्षा व क्षेत्र की कानून व्यवस्था संबंधित थाने की कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है। पुलिस संबंधित सभी कार्यों के लिये सर्वाधिक आम जनता पुलिस थानों पर जाती है और अगर उसके द्वारा बतायी गई शिकायत पर पुलिस तत्परता से कार्य करती है तो आम जनता में उसकी छवि अच्छी बन सकती है। देश में पुलिस की छवि को किस प्रकार से अच्छा किया जाये, किस प्रकार से थानों के कर्मचारियों की सक्षमता बढाई जाये, थाने में क्या–क्या कमियां हैं, जिस कारण से पुलिस की सक्षमता प्रभावित होती है। इन सब कारणों को जानने व थानों में कार्य की अधिकता, पुलिस बल में कमी, थानों में दिये जाने वाले बजट में कमी इत्यादि बिन्दुओं पर सुधार के लिये क्या–क्या आवश्यकतायें हैं व क्या किया जाना चाहिये, इनको जानने के लिये थाने पर शोध कार्य किया। यदि थाने की कार्य प्रणाली सुधर जाती है तो पुलिस की छवि अपने आप सुधर जायेगी। थानों को कार्य करने में क्या–क्या परेशानियां आती हैं, यह मालूम नहीं है, उसे जानने के लिये विस्तृत शोध करना आवश्यक था।

इस शोध से आपकी क्या प्राप्तियां रहीं?

हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है व संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार दिये गये हैं। थाना प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिये है। आम जनता थानों के कार्य से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार उनकी शिकायतों पर थानों में गम्भीरता से वैधानिक कार्यवाही नहीं की जाती। जहां कुछ प्रतिशत नागरिक पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट रहते हैं, वहीं बहुत अधिक प्रतिशत रिपोर्ट न लिखने, अपराध होने पर कोई कार्यवाही न करने व आवेदकों को ही परेशान करने की शिकायतें करते हैं। अधिकतर शिकायतकर्ताओं द्वारा पुलिस के क्रूर व्यवहार व भ्रष्टाचार की बात की जाती है। आम व्यक्ति थाने पर जाने में घबराता है। एक पीड़ित व्यक्ति थाने पर अपनी परेशानी लेकर जाता है परन्तु थाने पर मौजूद कर्मचारी उसके प्रति सहानुभूति न दर्शाते हुये उसको थाने पर इंतजार करने के लिये कहता है, यह आम जनता की एक आम शिकायत है। २४ प्रतिशत शिकायतकर्ताओं के अनुसार पुलिस घटना स्थल पर जाती ही नहीं है। जहां पुलिस बहुत अधिक व्यस्त रहने के कारण आम जनता की शिकायतों पर कार्यवाही न करने की बात कहती है, वहीं आम जनता अपने प्रति हुये अपराध की जांच न होने व कार्यवाही न होने से परेशान रहती है। अगर पुलिस कर्मचारी अपने दृष्टकोण व व्यवहार को अच्छा कर ले तो थाने के प्रति आम नागरिक की बहुत सी शिकायतें अपने आप दूर हो जायेंगी। पुलिस को अपने आचरण व Response Time में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। उन्हें अत्यधिक संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। ४१.६ प्रतिशत शिकायतकर्ता पुलिस के कार्य से असंतुष्ट थे व १६.४ प्रतिशत पुलिस के कार्य से बिल्कुल असंतुष्ट थे, इसमें सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

१. समय के साथ–साथ थानों के मूल कार्यों जैसे अपराधों की विवेचना, बीट भ्रमण, रात्रि गश्त, अपराधियों की जांच इत्यादि पर पुलिस बहुत कम समय देती है, जिस कारण से जनता से दूरी बढ़ती जा रही है व पुलिस बल की कमी की बात कहकर वरिष्ठ अधिकारी भी थानों के मूल कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण से स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगड़ रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी थानों के निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण, अपराधों में पर्यवेक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे।

२. यह सही है कि समय के साथ–साथ थाने के बहुत से कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है व कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षायें शासन व पुलिस से बढ़ती जा रही हैं, अपराधों का स्वरूप बदलता जा रहा है, नये–नये तकनीक से अपराध घटित हो रहे हैं, परन्तु पुलिस अधिकारी/कर्मचारी उस अनूरूप अपने को बदल नहीं पा रहे। अभी भी विवेचना में वैज्ञानिक तरीकों के साथ साक्ष्य एकत्रित नहीं किया जाता। घटना स्थलों का निरीक्षण बारीकी से नहीं किया जाता और बहुत अच्छा साक्ष्य एकत्रित नहीं किया जाता, जिस कारण से पुलिस केवल साक्षी के कथनों के आधार पर चालान पेश कर देती है। इन साक्षियों के कथन विरोधाभाषी होने के कारण आरोपी छूट जाते हैं। थाने के अधिकारी व कर्मचारी अपराधों की विवेचना के मूल कार्य को दक्षता से नहीं करते, जिस कारण अपराधी बरी हो जाते हैं व कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा। अन्य जो वैज्ञानिक तरीके व यंत्र पहले उपलब्ध नहीं थे, वे अधिकतर थानों में उपलब्ध करवा दिये गये हैं। जैसे वायरलेस सेट, मोबाइल फोन, वाहन, इन्वेस्टीगेशन किट आदि, जिनके माध्यम से पुलिस की गति और कम्यूनीकेशन में बहुत सुधार हुआ है, परन्तु उनका सही उपयोग न होने से आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।

३. पुलिस थानों में सबसे महत्वपूर्ण पैदल पेट्रोलिंग होती थी। पुलिस की दृश्यता अपराधों की रोकथाम के लिये अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या बढ़ने के साथ–साथ शहरों में पुलिस बल अवश्य बढ़ा है। ग्रामीण थानों में पुलिस बल उतना नहीं बढ़ा, पर शहरों में जिन थानों में बल बढ़ा है, वहां पुलिस की दृश्यता बढ़ी जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ी है, जिसका प्रभाव अपराधों में बढ़ोतरी के साथ हो रहा है। इससे आम जनता में असुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है।

४. किसी भी थाने की सफलता इसी में होगी कि वहां के नागरिक अपने आपको हर समय सुरक्षित महसूस करें और उन्हें अपने थाने के पुलिस कर्मचारियों पर यह विश्वास हो कि वे उनकी मदद करने के लिये हर समय तत्पर रहेंगे। इसके लिये बीट पेट्रोलिंग बहुत आवश्यक है, जो प्रायः बंद सी हो गई है। आम जनता को अपनी बीट के कर्मचारियों से कोई परिचय नहीं रहता है। इसलिये पुलिस के प्रति उनका विश्वास कम हुआ है।

५. पुलिस अगर हर समय दिये गये कार्य को सतर्कता से करे तो बहुत से अपराध कम हो सकते हैं। एक अनुशासित, सतर्क, प्रशिक्षित, दक्ष, शारीरिक रूप से फिट पुलिस कर्मचारी से आम जनता प्रभावित होती है, वहीं इसके विपरीत कर्मचारियों के प्रति वे अप्रभावित रहते हैं। इसलिये थाने के प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को उपरोक्तानुसार अपनी डयूटी बहुत सतर्कता से करनी चाहिये, जिससे अपराधियों में डर रहे व आम नागरिक भयमुक्त रहे।

६. आम जनता को पुलिस के भ्रष्टाचार से बहुत अधिक शिकायतें हैं। हर पुलिस कर्मचारी भ्रष्ट है, ऐसा भी नहीं हैं, परन्तु इस समय देश में ऐसी छवि बना दी गई है कि पुलिस विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग है। उसे यह छवि बदलनी होगी और इसके लिये आम जनता के कार्य बड़ी सुगमता से पुलिस को अत्यंत तत्परता से करने चाहिये, जिससे उसकी छवि अच्छी हो सके। पुलिस को अपने कार्य में निष्पक्षता दिखानी होगी व जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व निर्धारित करना होगा।

७. यह सही है कि पुलिस बल में कमी है, परन्तु पुलिस बल बहुत अधिक बढ़ने पर भी कमी तो बनी रहेगी। इसलिये पुलिस को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपराधों व कानून व्यवस्था में नियंत्रण करना चाहिये, जैसे विभिन्न चौराहों पर सी सी टी वी कैमरे लगाकर, वाहनों के ट्रेफिक चालान कैमरों व कम्प्यूटर की सहायता से ऑटोमेटिक जनरेट करके नये वैज्ञानिक यंत्रों का विवेचना में उपयोग करके, जैसे लाइव स्केनर (फिंगर प्रिंट के लिये) डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग , अपराधियों की इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलेस इत्यादि। पुलिस अपनी कार्य क्षमता को कम पुलिस बल से भी सुधार सकती है। इसी प्रकार से सामुदायिक पुलिसिंग के द्वारा आम जनता को जोड़कर कानून व्यवस्था की स्थिति में व अपराधों को नियंत्रित करने में काफी कमी लाई जा

शेष पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो–२६

प्रिय पाठकों,

इस अंक में भी हम एक विशेष आपराधिक कानून से ही प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करना आवश्यक समझा गया है क्योंकि मूल आपराधिक कानूनों में से गत दो वर्षों तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए, अब विशेष कानूनों के ज्ञान की परख की जा रही है।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या देसी तमंचा अपने पास रखना कोई अपराध है? यदि 'हां', किस प्रावधान के अंतर्गत?

२. एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कितने हथियार रख सकता है?

३. क्या आपकी लाईसेंसधारी राईफल को भी पुलिस ज़ब्त कर सकती है?

४. क्या किसी प्रतिबंधित हथियार को केवल अपने घर में रखने के लिए भी दण्डित किया जा सकता है? संबंधित प्रावधान बतलाएं।

५. क्या कोई व्यक्ति अपनी लाईसेंसधारी हथियार को सुरक्षित रखने के लिए थाने में जमा कर सकता है? किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है?

बूझो और जीतो – २३ का परिणाम

नवंबर २०१३ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. आपराधिक सबूतों को मिटाने के लिए क्या और किस प्रावधान के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है?

भ.द.सं की धारा २०१ के अंतर्गत अगर सम्बद्ध अपराध मृत्यू दण्ड से दण्डनीय है, सबूत मिटाने वाले को ७ वर्षों तक के कारावास और जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है। अगर अपराध अजीवन कारावास से दण्डनीय है, सबूत मिटानेवाले को ३ वर्षों तक के कारावास और जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है। अगर अपराध १० वर्षों से कम के कारावास से दण्डनीय है, सबूत मिटाने वाले को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दण्ड के एक चौथाई अवधि की क़ैद या जुर्माना का दण्ड दिया दिया जा सकता है।

२. धोखेबाज़ी के लिए क्या दण्ड दिया जा सकता है?

भ.द.सं. की धारा ४१७ के अंतर्गत १ वर्ष तक के करावास या जुर्माना या दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है।

३. एक चार वर्ष के बच्चे को पैसे चुराने के लिए क्या दण्ड दिया जा सकता है?

भ.द.सं. की धारा ८२ के अंतर्गत ४ वर्ष के बच्चे द्वारा किये गये किसी भी काम के लिए, यदि वह अपराध की श्रेणी में आए तब भी दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

४. पीड़ित मुआवज़ा क्या है?

द.प्र.सं. की धारा ३५७ क के अंतर्गत पीड़ित को राहत देने के लिए सभी राज्य सरकारों को इसके लिए एक स्कीम तैयार करनी होती है। इसके अंतर्गत पीड़ित को मुआवज़ा देने की अदालत की सिफ़ारिश पर, ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी राशी तय करेंगे और पीड़ित को मुआवज़ा दिया जाएगा। अगर अपराधी का पता न लगे केवल पीड़ित की सूचना प्राप्त हो तब भी उसे मुआवज़ा दिया जाएगा।

५. क्या पुलिस के समक्ष अपराध कबूली अदालत में मान्य है? इस सम्बन्ध में क्या प्रावधान है?

भ.स.अ. की धारा २६ के अंतर्गत पुलिस के समक्ष की गई गुनाह कबूली अदालत में अमान्य है अर्थात् इसे सच नहीं माना जाता है।

विजेता

इस अंक के लिए हमें किसी भी पत्र में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए हैं। इसलिए किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http/www.humanrightsinitiative.org

पुलिसिंग में सत्यनिष्ठा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचलन और प्रक्रियाएं – भाग (१)

क. सत्यनिष्ठा – एक पारिभाषिक प्रश्न

भारत में सत्यनिष्ठा पर विवाद ने मूलरूप से स्वंय को आर्थिक बातों तक सीमित कर लिया है। यह शायद इसलिए है कि आर्थिक भ्रष्टाचार अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका है और इस कारण इसके किसी और पहलु पर तर्क–वितर्क करना भी असम्भव हो गया है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार पर अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने १७८ देशों में से भारत को शर्मनाक ८७वें नंबर पर रखा है। इस संस्था ने भ्रष्टाचार की तालिका में भारत को १० के परिमाण में से ३.३ के स्तर पर रखा गया है। भारत के भ्रष्टाचार और घूसख़ोरी की रिपोर्ट में बतलाती है कि भारत में घूस की मांग करने वालों में ३० प्रतिशत भागीदारी पुलिस की है। आश्चर्य है, क्योंकि धर्मचक्र को न केवल देश के राष्ट्रीय चिह्न में स्थान प्राप्त है बल्कि यह बड़े पैमाने पर सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवेश और तर्क–वितर्क में भी फैला हुआ है। इसलिए पुलिसबल में सत्यनिष्ठा पर तर्क–वितर्क को केवल आर्थिक बातों तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसमें सत्यनिष्ठा के सारे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें 'पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का आधिकारिक रूप में कार्य करते हुए व्यक्तिगत या संगठनात्मक लाभ के लिए उपयोग को सम्मिलित किया जाना चाहिए।'

ऑक्सफॉर्ड के शब्दकोश में 'सत्यनिष्ठा' को परिभाषित करते हुए कहा गया है–ईमानदार और मज़बूत नैतिक सिद्धांत की गुणवत्ता का होना। एक पुलिस अधिकारी से आगे से नेतृत्व करने की आशा की जाती है जिसमें शरीरिक और मानसिक दोनों साहस और दिये गये काम संबंधी व्यावासायिक उत्कृष्टता, निर्भीक नवरीति और कूटनीतिक दूरदर्शिता हो। सबसे महत्पूर्ण यह है कि, एक पुलिस अधिकारी जो न्याय प्रदान करने के लिए सबसे अग्रणी स्तर पर होता है उससे यह आशा की जाती है कि जो सही हो वह उसी के लिए खड़ा रहे। सत्यनिष्ठा पर तर्क–वितर्क के दौरान इन पहलूओं पर आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

ख. सत्यनिष्ठा का महत्व

सत्यनिष्ठा मानव उद्यम के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। पुलिस संगठन के लिए यह विशेष रूप में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य न्याय दिलाना है। विशिष्ट रूप से एक आम भारतीय था, अपनी ईच्छा से नहीं जाता है। वह मूल रूप से थाना दबाव में आकर, अत्यंत आवश्यक हो जाने पर और जब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं उपलब्ध होता, तभी जाता है। ऐसे संकटपूर्ण समय में, एक पुलिस बल जो अपनी अखंडता की बुनियादी मान्यता के साथ नहीं खड़ा होता है वह जनता की उम्मीदों को पूरा करने में बुरी तरह विफल हो जाता है। जनता द्वारा इस कठीन स्थिति के आभास के कारण, अखंडता में कमी न केवल पुलिस की संपूर्ण छवि को दूसरे अन्य एकान्तवासी विभागों से अधिक कलंकित करता है, बल्कि इससे पुलिस की कार्य–निष्पादन और कार्य–क्षमता भी घट जाती है।

ग. हमारी पुलिस बेईमान क्यों है?

जहां हम इस बात की गहराई से जांच करते हैं कि पुलिस में अखंडता और ईमानदारी की कमी क्यों है, पुलिस के काम की एकाधिकार का स्वरूप, बहुत बड़े स्तर पर कार्य स्वाधीनता और स्पष्ट जवाबदेही में कमी, पुलिस में भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष रुप से प्राथमिक कारक हैं। चापलूसी करने की औपनिवेशिक विरासत और बल के अंदर और बल के बगैर अनुक्रम (हाईरार्की) के रूप में हमारे पास भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मिश्रण मौजूद है। भ्रष्टाचार का पाप जिसको सबसे अधिक धिक्कारा गया पर फिर भी उसके विरूद्ध सबसे कम कार्यवाही की गई, न केवल भ्रष्टाचार को और अधिक संवेग देता है बल्कि उसे न्यायसंगत भी ठहराता है। एक ऐसा वातावरण जिसमें पुलिस के डर को प्रायः कानून के शासन के प्रति आदर के लिए अनिवार्य माना जाता है, इसमें इस क्षेत्र में सुधार की बहुत कम गुंजाइश बचती है। इसके अलावा, पुलिस द्वारा लागू किये जाने वाले वृहद कानून, जिनमें से अधिकांश प्राचीन और अप्रासंगिक हैं, पुलिस को शासित करने वाला प्रमुख कानून (पुलिस अधिनियम १८६१) और पुलिस के काम में बुनियादी असंबद्धता इस मुद्दे का और अधिक नाश कर देते हैं।

घ. रूग्णता का फैलाव

भारत में पुलिस में भ्रष्टाचार के फैलाव को मापने के लिए, ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल ने २००५ में एक अध्ययन किया था। इसमें पाये गये परिणाम निम्नलिखित हैं और इन्हें और अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस स्टाफ़ के आधार पर राज्यों का समूहीकरण

राज्य	प्रति केस सिविल पुलिस	प्रत्येक १०००० जनसंख्या पर सिविल पुलिस	प्रति १०० वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में सिविल पुलिस	श्रेणी
दिल्ली	०.४५	६	३१५४.०८	उच्च
पंजाब	१.२५	७.७५	१०३.७३	उच्च
हरियाणा	०.६१	६.८२	८६.१४	उच्च
महाराष्ट्र	०.६४	८.२६	४३.६	उच्च
हिमाचल प्रदेश	०.५६	१८.१२	१५.८१	उच्च
उत्तर प्रदेश	०.७३	१२.६८	५१.११	मध्यम
तमिल नाडू	०.३४	७.७	६२.६७	मध्यम
केरल	०.२७	१०.७१	११४.४६	मध्यम
पश्चिम बंगाल	०.६०	७.१७	६२.६७	मध्यम
गुजरात	०.४२	३२.२७	२६.०५	मध्यम
कर्नाटक	०.३८	६.६	३०.०६	मध्यम
ओडिशा	०.४५	१३.५३	१८.६४	निम्न
बिहार	०.३५	८.३३	७५.७४	निम्न
असम	०.३७	६.७७	२३.६३	निम्न
राजस्थान	०.३३	२१.०१	१३.१५	निम्न
आन्ध्र प्रदेश	०.२६	६.२६	२६.०६	निम्न
झारखण्ड	०.२१	१४.२	३४.३४	निम्न
मध्य प्रदेश	०.२२	१३.७५	१६.७८	निम्न
छतीसगढ़	०.२७	६.२४	६.८६	निम्न

बातचीत का उद्देश्य (आँकड़े प्रतिशत में)

बातचीत का उद्देश्य	राज्य द्वारा पुलिसकर्मियों की तैनाती			कुल
	उच्च	मध्यम	निम्न	
शिकायत दर्ज कराने के लिए	५७	५१	५७	५५
ट्रैफिक कानून का उल्लंघन	८	१७	६	१२
आरोपी के तौर पर	८	१३	११	११
गवाह के तौर पर	५	६	५	५
पासपोर्ट सत्यापन	४	५	४	४
नौकरी का सत्यापन	५	१	५	३
विचाराधीन केस	३	१	२	२
अन्य (चालान, केस का समझौता)	८	१	७	५

सामने आने वाली कठिनाईयां(आँकड़े प्रतिशत में)

सामने आने वाली कठिनाईयां	राज्य द्वारा पुलिसकर्मियों की तैनाती			कुल
	उच्च	मध्यम	निम्न	
कर्मचारियों का उदासीन रवैया	६०	६०	६६	६४
कर्मचारी भ्रष्ट हैं	५७	६१	६४	६१
प्रक्रियात्मक (अंग्रज़ी भाषा का उपयोग)	४६	३६	४५	४३
फॉर्म और दिशा-निर्देशों का उपलब्ध न होना	३३	२६	२६	२६
बिचौलिये द्वारा हस्तक्षेप	१२	१२	६	११

भ्रष्टाचार का अनुभव (आँकड़े प्रतिशत में)

भ्रष्टाचार का अनुभव	राज्य द्वारा पुलिसकर्मियों की तैनाती			कुल
	उच्च	मध्यम	निम्न	
असहमत होने वाले	७	६	४	५
न सहमत और न असहमत होने वाले	६	१०	४	७
सहमत होने वाले पुलिसकर्मी	८६	८३	६२	८७

भ्रष्टाचार का स्तर (आँकड़े प्रतिशत में)

भ्रष्टाचार का स्तर	राज्य द्वारा पुलिसकर्मियों की तैनाती			कुल
	उच्च	मध्यम	निम्न	
कम हुआ	६	७	३	५
उसी प्रकार का	१५	२०	१५	१७
बढ़ा हुआ	७८	७२	८१	७७

भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पुलिस की वचनबद्धता (आँकड़े प्रतिशत में)

सामने आने वाली कठिनाईयां	राज्य द्वारा पुलिसकर्मियों की तैनाती			कुल
	उच्च	मध्यम	निम्न	
वचनबद्ध नहीं	५५	५७	७४	६४
उदासीन	१५	१५	१२	१४
वचनबद्ध	२६	२५	१२	२०

प्राप्त सेवा की गुणवत्ता (आँकड़े प्रतिशत में)

प्राप्त सेवा	राज्य द्वारा पुलिसकर्मियों की तैनाती			कुल
	उच्च	मध्यम	निम्न	
मामूली	७३	७३	६७	७४
न मामूली न ही अच्छा	१४	१४	६	१४
अच्छा	१३	१२	१२	११

उपयुक्त दूसरा रास्ता (आँकड़े प्रतिशत में)

उपयुक्त दूसरी प्रक्रिया	राज्य द्वारा पुलिसकर्मियों की तैनाती			कुल
	उच्च	मध्यम	निम्न	
अतिरिक्त पैसे देकर	८०	८१	८०	८०
अतिरिक्त मेहनत करके	२८	२५	२७	२७
प्रभाव का उपयोग करके	१२	१६	१५	१६
राजनैतिक प्रभाव द्वारा	५	१७	६	११
नौकरशाही/आधिकारिक प्रभाव द्वारा	५	११	६	६
बिचौलिये की सहायता द्वारा	२	८	५	५

ङ. भ्रष्टाचार के प्रकार

भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूपों का अपने विशेष क्रम में वर्गीकरण हमें भ्रष्टाचार के बारे में बेहतर समझ प्रदान करता है। यू. एस.एड. का भ्रष्टाचार विरोधी और पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा (सुरक्षा सेक्टर सुधार कार्यक्रम) के कार्यक्रम के संक्षिप्त वृतांत भ्रष्टाचार को इसके चार स्वरूप में प्रस्तुत किया गया।

१. छोटे भ्रष्टाचार
२. नौकरशाही भ्रष्टाचार
३. आपराधिक भ्रष्टाचार
४. राजनैतिक भ्रष्टाचार

जहां पहली श्रेणी में सम्बद्ध राशी हमेशा कम ही होती है, लेकिन यह सबसे अधिक फैला हुआ है और पुलिस की छवि को बुरी तरह बिगाड़ता है। नौकरशाही भ्रष्टाचार किसी भी सरकारी कार्यालय से जुड़ा होता है और यह विशेष रूप से पुलिस से संबंधित नहीं है। आपराधिक भ्रष्टाचार पुलिस और अपराधियों के अपवित्र बंधन से जुड़ा हुआ है और यह पुलिस से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बड़ा और व्यापक है और इससे पुलिस के अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के काम पर बहुत बुरा और सीधा प्रभाव पड़ता है। राजनैतिक भ्रष्टाचार, अपराधियों और राजनैतिज्ञों तथा पुलिस के साथ संबंधित होता है और यह कानून के शासन की जड़, निष्पक्षता, समानता और न्याय जैसी ऊँची मान्यताओं पर सीधा आघात करता है जिसे कायम रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। इनमें से प्रत्येक के प्रत्यक्षीकरण से निपटने के लिए विशेष फोकस और विशिष्ट युक्ति की आवश्यकता है। साथ ही, किसी विकासशील समाज में भ्रष्ट प्रचलनों के संपूर्ण पहलूओं से निपटना एक बार में सम्भव नहीं बल्कि इसके लिए निरंतर और प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

– नवाज़ कोतवाल

तथ्य एंव आँकड़े

भारत में जनता और पुलिस का अनुपात बेहद विषम स्थिति में है–प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर केवल १०६ पुलिस। जनता–और पुलिस का यह अनुपात संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानक १ लाख जनसंख्या पर २२२ पुलिसकर्मी का लगभग आधा है। हांलाकि, भारत में अनुमोदित पुलिस–पब्लिक अनुपात प्रति १ लाख पर १४५ का ही और इसे भी पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही, उच्च स्तर पर भी १०६३ आई.पी.एस. पद रिक्त पड़े है।

आई.पी.एस रिक्त पद

राज्य	अनुमोदित संख्या	रिक्त पद
नागालैंड	७०	३५
ओडिशा	१८८	८४
केरल	१६३	५७
कर्नाटक	२०५	७०
महाराष्ट्र	३०२	१०१
समस्त भारत	४,७३०	१,०६३

❖ 1 जनवरी 2013 तक प्राप्त आँकड़े।

पुलिस–पब्लिक अनुपात

राज्य	अनुमोदित संख्या	वास्तविक
बिहार	६६.७६	५४.७३
पं.बंगाल	१००.५८	६१.५६
उत्तर प्रदेश	१६०.६३	६७.७६
ओडिशा	८१.०५	७१.२४
मध्य प्रदेश	६०.६७	७५.१६
समस्त भारत	१४५.०२	१०६.७६

❖ सं.रा.द्वारा बताये गया अनुपात २२२

पृष्ठ १ का शेष.....

सकती है। उपलब्ध संसाधनों व पुलिस कर्मचारियों का सही उपयोग करके कार्यक्षमता सुधारी जा सकती है।

८. थानों के बजट में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है, जिससे थानों में स्टेशनरी, कम्प्यूटरों के रख–रखाव, थाने की साफ–सफाई इत्यादि में जो खर्चे हो रहे हैं, वे उन्हें पर्याप्त व समय पर मिलें। थाने के आधारभूत सुविधाओं में काफी सुधार की आवश्यकता है। थाने में बैठने के लिये पर्याप्त स्थान न होने, अधिकारियों के लिये बैठकर काम करने के लिये स्थान का अभाव, थाने में सामान व जप्त वाहन इत्यादि रखने के लिये स्थान का अभाव, कर्मचारियों के लिये आवास इत्यादि के अभाव में कर्मचारियों को बहुत अधिक परेशानी होती है, जिसे दूर किया जाना आवश्यक है। थानों में प्रधान आरक्षक, आरक्षक यहां तक कि सहायक उपनिरीक्षक तक को बैठने के लिये स्थान नहीं मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिये पर्याप्त बैठने के स्थान के अतिरिक्त जब वे आराम करना चाहें तो रेस्टरूम (आरामगाह) भी होना चाहिये। थानों में पुस्तकालय, जिम, साफ–सुथरे टॉयलेट इत्यादि होने चाहिये। महिला पुलिस के लिये अलग से यह सभी सुविधायें प्रत्येक थाने पर होना चाहिये, जिससे महिला पुलिस को परेशानी न हो।

९. प्रशिक्षण में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। प्रत्येक कर्मचारी को उनके दृष्टिकोण व व्यवहार व्यवसायिक कार्यों में दक्ष बनाने, संवाद इत्यादि में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

१०. पुलिस संस्कृति – दुर्व्यवहार, गालियां देना, अभद्रता करना, क्रूरता, फर्जी मुठभेड़ व फर्जी कार्यवाहियां करना, असक्षमता, आदि पुलिस की संस्कृति बताई जाती है। इसको बदलने की आवश्यकता है।

पुलिसकर्मी के उत्थान के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिए?

थाना स्तर के पुलिस कर्मचारियों को विशेषकर आरक्षक स्तर के कर्मचारियों के उत्थान के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि थानों में प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक व उपनिरीक्षक के पद बढ़ाये जायें, जिससे उनको पदोन्नति के अधिक अवसर मिलें । साथ में ही पुलिस आरक्षक को थाने में वे प्रत्येक सुविधायें दी जायें जो उसे कार्य करने के लिये आवश्यक हैं। जैसे बैठने के लिये कक्ष, रेस्ट रूम, वाहन भत्ता, सम्पर्क स्थापित करने हेतु मोबाइल फोन, थाने के पास आवासगृह, थाने में जिम, खेलने की व्यवस्था, कैंटीन, थानों व आवासग्रहों में साफ–सफाई की व्यवस्था होनी चाहिये। समय पर अवकाश दिया जाये। थानों को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाये।

(अंतिम भाग अगले अंक में)

क्या आप जानते हैं?

इस अंक से अगले कुछ अंकों तक हम इस स्तम्भ में "सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा" की उत्पत्ती तथा विकास के वर्तमान पहलूओं पर लेख प्रस्तुत करते रहेंगे। इस श्रृंखला का पहला भाग यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

सामुदायिक पुलिसिंग की उत्पत्ति

सन् १८०० में सर रॉबर्ट पील ने लंदन मेट्रोपोलिटन पुलिस की स्थापना करते हुए कई सिद्धांतों को बनाया जिस पर पुलिसिंग व्यवस्था आधारित हो सकती है। इनमें से एक को सामुदायिक पुलिसिंग की बीज माना जा सकता है : "पुलिस जनता है और जनता पुलिस"। यह सिद्धांत पुलिससेवा को सुव्यवस्थित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है जो एक दार्शनिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। हांलाकि, समय के साथ और इस सेवा को अधिक व्यवसायिकता प्रदान करने की होड़ में, इस सिद्धांत को धीरे–धीरे भुला दिया गया और पुलिस का समुदाय से अलगाव हो गया। सेवा में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बल के अन्दर नियमित रूप से स्थानान्तरण होते थे और नियंत्रण तथा प्रबंधन केन्द्रीय स्तर पर होती थी ताकि कानून को ईमानदारी के साथ माना जा रहा है यह सुनिश्चित हो सके।

पुलिस के अलगाव की सीमा उस दौर में शुरु हुई जब व्यवसायीकरण बढ़ रहा था और यह माना जाने लगा कि व्यवसायी मनुष्यों को सबसे अच्छी जानकारी होती है और अपराधों को रोकने में समुदाय को सम्मिलित करने को सबके द्वारा बिल्कुल अनावश्यक माना जाता था। जैसे ही यह दृष्टिकोण प्रचलित होने लगा, पुलिस को जल्दी ही उन लोगों के साथ बातचीत करने में कठिनाई आने लगी जिनको वह सेवा प्रदान कर रहे थे। अलगाव पूरा हो चुका था और कुछ समुदायों में तो 'हमलोग बनाम वह लोग' वाला रूझान विकसित हो गया था। १९६० और १९७० में यह विभाजन और बढ़ गया। सामाजिक आन्दोलनो से युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों, सामाजिक अधिकार आन्दोलनकर्ता और अन्य समूह प्रदर्शन करने लगे थे। जनता की नब्ज़ को समझने में असमर्थ, पुलिस ऐसी स्थिति को संभालने के लिए तैयार नहीं थी।

पुलिस के प्रति उत्पन्न विरोध ने नेतृत्व को स्थिति को परखने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अलावा, पुलिस बल द्वारा अशांति से प्रभावपूर्ण और उचित ढ़ंग से निपटने में असमर्थता ने सामाजिक नेताओं और राजनैतिज्ञों द्वारा पुलिस प्रचलनों की पुनः परीक्षण की मांग की। १९६८–१९७३ के मध्य कई आयोगों का गठन किया गया जिन्होंने पुलिस में बदलाव के लिए अनेकों सुझाव और सिफ़ारिशें की।

अमेरिका में, पुलिस विभाग और बाहरी एजेंसियों ने मिलकर व्यापक शोध किये जिसमें प्राचीन पुलिसिंग पद्धति के पुनर्मूल्यांकन का उपाय सुझाया गया। १९७० में कई महत्वपूर्ण शोध अध्ययनों में कई विचारणीय परिणाम और समानरूप से महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदान की गईं। पैदल गश्त बनाम कार गश्त पर विस्तृत चर्चा की गई और उसका मूल्यांकन किया, इसी प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों से फील्ड में पूछताछ और डराकर अपराधों को रोकने में संबंध पर भी चर्चा और मूल्यांकन किया गया। इससे जो निकलकर आया वह था समुदाय अभिविन्यस्त पुलिसिंग परियोजना (सी.ओ.पी.) जो सामुदायिक पुलिसिंग का पहला प्रयोगाश्रित अध्ययन था।

सी.ओ.पी. परियोजना ने गश्त अधिकारियों पर अधिक दबाव दिया। इन अधिकारियों को अपनी बीट के भौगोलिक क्षेत्र और उसमें रहने वाले समुदाय से परिचित होने और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होता था। प्रत्येक बीट को वहां के अपराध और नागरिकों की चिंताओं से निपटने के लिए एक विशिष्ट व्यक्तिगत कार्यनीति तैयार करनी होती थी।

सी.ओ.पी. परियोजना में भाग लेने वाले अधिकारियों ने यह निष्कर्ष दिया कि अनियमित की जाने वाली गश्त इतनी महत्पूर्ण नहीं थी जितनी पहले से सोची गई। उन्होंने यह भी निष्कर्ष दिया कि समुदाय के सदस्यों के साथ मज़बूत रिश्ते विकसित करना उससे अधिक महत्वपूर्ण था जितना पहले समझा गया था। साथ ही, उन्होंने यह भी महसूस किया कि समुदाय के साथ संपर्क रखने से अधिकारियों का उनके काम और जिस समुदाय की वह सेवा करते हैं उसके प्रति उनका रूझान बेहतर हो सकता है और इससे उन्हें जटिल समस्याओं का रचनात्मक हल निकालने में सहायता मिल सकती है।

इस अध्ययन के कई परिणाम आज के सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयत्न से सीधा संबंध रखते है। पहले, समुदाय के लोगों को जानने से, अधिकारियों को आपराधिक गतिविधियों और अपराधकर्ताओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो पाती थी। वे समुदाय के सदस्यों की वास्तविक ज़रूरतों का आंकलन करने में और पुलिस सेवा से उनकी उम्मीदों को भी समझ सकते थे।

इस शोध से प्रकट कई कार्यनीतियों को आज कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक माना जाता है। चार दशक पहले प्रकट विचारों को संशोधित करके वर्तमान पुलिसिंग अवस्था में फिट किया जा रहा है। दुनिया भर में पुलिस नेतृत्व ने महसूस किया है कि अब पूराने प्रबंधन और प्रक्रियाओं में छोटे बदलाव करना पर्याप्त नहीं है।

(नोट : अगले अंक में 'सामुदायिक पुलिसिंग क्या है?' पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।)

आपके विचार

संपादक जी,

सादर प्रणाम!

हमें दिसंबर २०१३ का अंक कुछ सप्ताह पूर्व प्राप्त हुआ। इस अंक में श्री पी.एम. नायर जी का साक्षात्कार बहुत पसंद आया। विशेष कर उनके द्वारा राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी को पहचानने और पकड़ने की तरकीब बेहद लाभप्रद है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कई बार हम पर अपराधी को गिरफ़्तार करने का इतना दबाव होता है कि हम अनावश्यक सख्ती भी कर जाते हैं। ऐसे उदाहरणों से अगली बार ऐसा करने से पहले हमारा ध्यान इसकी अनावश्यकता पर अवश्य ही जाएगा।

साथ ही, देहाती थानों में पुलिसबल की किस काम के लिए कितनी संख्या में तैनाती होनी चाहिए, इस विषय पर रिपोर्ट भी बेहद उपर्युक्त था क्योंकि हमारे काम कभी भी और किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरण हो सकता है। इसलिए, इस प्रकार की जानकारी से हमें अपनी कार्य क्षमता पर अनावश्यक रूप से संदेह नहीं होगा।

ऐसे समकालीन लेखों को प्रस्तुत करने के लिए आपकी टीम को धन्यवाद।

हेड कांस्टेबल, जबलपुर
मध्य प्रदेश पुलिस

देहाती क्षेत्रों में पुलिसबल का मूल्यांकन–पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो की रिपोर्ट (भाग–३)

दिसंबर अंक से हम बी.पी.आर. एन्ड डी. द्वारा देहाती थानों में जनबल के मूल्यांकन की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसके परिणाम तक पहुंचने के लिए एक अध्ययन, आन्ध्र प्रदेश के वारंगल ज़िले में स्थित रघुनाथापल्ली थाने में किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में एक देहाती थाना आम तौर पर १५–२० गांवों और ५०,००० जनसंख्या की देख–रेख करता है। रघुनाथा पल्ली, जो एक देहाती थाना है इसकी आबादी ५२६४६ है।

किसी देहाती थाने में जनबल के मूल्यांकन के उद्देश्य से, देहात के थाने के कर्तव्यों को तीन श्रेणी में बांट सकते हैं:–

क) वैधानिक कर्तव्य,
ख) परिचालन कर्तव्य और
ग) अस्पष्टीकृत कर्तव्य

वैधानिक तथा परिचालन कर्तव्यों की चर्चा पिछले अंक में हो चुकी है। इस तीसरे और अंतिम भाग में हम पुलिस द्वारा अस्पष्टीकृत कर्तव्यों के लिए जनबल की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करेंगे।

अस्पष्टीकृत कर्तव्य

अस्पष्टीकृत कर्तव्य ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में कहीं उल्लेख नहीं होता लेकिन उसे प्रतिदिन करना पड़ता है। अस्पष्टीकृत कर्तव्यों की विस्तार पूर्वक पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

बी.पी.आर. एन्ड डी. के विश्लेषण से यह प्रदर्शित हुआ है कि थाने का तकरीबन २४ प्रतिशत से ४२ प्रतिशत समय अस्पष्टीकृत कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होता है, हांलाकि, यह थाने के कार्यभार पर पूरी तरह निर्भर करता है। हम अस्पष्टीकृत कार्यों / साप्ताहिक अवकाश के लिए १४ प्रतिशत जनबल की सिफ़ारिश करते हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 'अवकाश और प्रशिक्षण' के लिए १४ प्रतिशत जनबल को मानक स्वीकार कर लिया है। दोनों जनबल आवश्यकताओं को मिलाकर बी.पी.आर. एन्ड डी. थाने के २८ प्रतिशत जनबल की सिफारिश करती है जिसमें से १४ प्रतिशत को अस्पष्टीकृत कार्यों और १० प्रतिशत को छुट्टी और ४ प्रतिशत को प्रशिक्षण के लिए रिज़र्व रखें।

देहाती थाने में जनबल आंकलन संबंधी बी.पी.आर. एण्ड डी. की सिफ़ारिश

क्र. सं.	नियत ड्यूटी	इंस्पेक्टर	एस. आई.	ए.एस. आई.	हेड कांस्टेबल	कांस्टेबल	कुल
१.	रिपोर्टिंग और रिसेप्शन तथा जी.डी. लेखक (२४ घंटे में ३ शिफ्ट)			३	३	३	९
२.	थाना सुरक्षा				१	४	५
३.	मार्गरक्षक ड्यूटी			१	१	४	६
४.	अदालत और मालखाना ड्यूटी				१	२	३
५.	थाना रिकॉर्ड कायम रखना				१	२	३
६.	डाक ड्यूटी					२	२
७.	अदालत प्रस्तुति ड्यूटी				३	३	६
८.	वायरलेस संचार			१	३	३	७
९.	ड्राईवर की ड्यूटी				३	३	६
१०.	कंप्यूटर ड्यूटी				१	२	३
११.	आंतरिक व्यवस्था	इस ड्यूटी को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आउटसोर्स किया जा सकता है।					
१२.	पर्यवेक्षण ड्यूटी	१	१		१	३	६
१३.	जांच टीम		६		६	६	१८
१४.	बीट पोस्ट/गश्त ड्यूटी			४	४	४	१२
१५.	जन शिकायत/याचिका जांच कर्मचारी				३		३
१६.	अस्पष्टीकृत कर्तव्य/साप्ताहिक छुट्टी/ अवकाश व प्रशिक्षण रिज़र्व (२८ %)						
१७.	कुल	१	९	११	३९	५४	११४

क. प्रत्येक थाने के लिए एक जांच टीम को अधिकृत किया गया है। जांच टीम के जनबल को थाने के अनुसार और अपराध दर पर निर्भर करते हुए बढ़ाया जा सकता है।

ख. एक देहाती क्षेत्र के थाने के लिए ११४ पुलिसकर्मियों के जनबल की सिफारिश की जाती है। जबकि, नक्सल व आतंकवाद प्रभावित देहाती क्षेत्रों में, स्थानीय सुरक्षा परिदृश्य के अंतर्गत जनबल की तैनाती बढ़ाई भी जा सकती है।

ग. गृह व्यवस्था के काम को सुरक्षा निकासी के बाद आउटसोर्स किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकतानुसार १–रसोईया और २ अन्य सहायक।

घ. प्रत्येक बीट पर एक मोटरसाईकल की भी सिफ़ारिश की जाती है और इसे ४ बीट में बांटने की सिफ़ारिश की जाती है और यह मोटर बाईक बीट अफ़सर द्वारा चलाया जाएगा।

ड़. कम से कम १ मध्यम वाहन, २ हल्के वाहन और बीट के अलावा प्रत्येक थाने में डाक ड्यूटी के लिए एक और मोटर साईकल होनी चाहिए।

बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा देहाती क्षेत्र के थानों में जनबल की आवश्यकताओं का आकलन करके दी गई सिफ़ारिशों के अनुसार–थाने के विभिन्न प्रकार के कार्यों (वैधानिक ड्यूटी, परिचालन ड्यूटी और अस्पष्टीकृत ड्यूटी) के अनुसार यदि जनबल को बांट दिया जाए, अधिकारियों के कार्य–निष्पादन में सुधार आएगा और प्रत्येक पुलिसकर्मी के हिस्से में कार्य–भार भी कम होगा। हांलाकि, इन सिफ़ारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को जनबल की तैनाती भी करनी पड़ेगी तभी कार्यों के लिए सिफारिश किये गये जनबल को उक्त टास्क के लिए तैनात किया जा सकेगा। लेकिन, जब तक राज्य सरकारें बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा प्रस्तुत सिफ़रिशों के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं कर रही हैं तब भी, सलाह के अनुसार उसी अनुपात में प्रत्येक टास्क के लिए उपलब्ध पुलिसकर्मियों का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। इसके भी आंशिक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

मुंबई के अपराध ग्राफ़ में वृद्धि

मुंबई पुलिस के २०१३ के वार्षिक अपराध रिकॉर्ड ने शहर में अपराध में बढ़ोतरी की एक भयानक तस्वीर प्रस्तुत की है जिसमें किशोर अपराधियों की संख्या में व्यापक बढ़त दर्ज की गई है।

२०१३ में शहर के सभी थानों में दर्ज अपराधों की संख्या में ४,४०६ आपराधिक केसों की बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष २०१३ में, पिछले वर्ष की तुलना में बलात्कार, फिरौती, डकैती, चोरी और सेंधमारी जैसे संगीन अपराधों में बढ़त दर्ज हुई है। यहां तक कि लघु अपराधों जैसे कि जेब कतरने और चेन छीनने जैसे केसों में २०१२ की तुलना में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है।

२०१२ में दर्ज केसों की कुल संख्या ३०,०३६ थी, जबकि २०१३ में यह बढ़कर ३४,४४२ हो गई है।

२०१३ में बलात्कार के केसों में ६८ प्रतिशत वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्योरो के आँकड़ों के अनुसार, २०१२ में बलात्कार की घटनाओं में मुंबई, दिल्ली के बाद केवल दूसरे स्थान पर था। २०१२ में दोनों शहरों में अकेले ८१७ बलात्कार की घटना दर्ज की गई थी जोकि कोलकाता और चेन्नई से पांच गुना अधिक है।

हांलाकि, सामाजिक सेवा शाखा के डी.सी.पी. श्री महेश पाटिल के अनुसार, दिल्ली के १६ दिसंबर २०१२ और मुंबई के शक्ति मिल के सामुहिक बलात्कार की घटनाओं के बाद पुलिस ने चश्मदीद गवाहों की शिकायत पर छेड़खानी करने वालों पर भी कार्यवाही की थी।

इसी प्रकार फिरौती के केसों में भी २०१२ की तुलना में २०१३ में २३ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जोकि शहर में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों का सीधा सूचक है। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण चेन खींचने की घटनाओं में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

कई वरिष्ठ अधिकारियों ने २०१३ में केसों की संख्या में वृद्धि का कारण थानों द्वारा केस दर्ज करने में दर्शाई गई तत्परता को बतलाया है।

पुलिस के आँकड़ों के अनुसार, २०१३ में केसों के अनुसंधान का दर केवल ५७ प्रतिशत था अर्थात् कुल दर्ज ३४,४४२ केसों में से केवल १९,७४६ केसों का पता लगाया जा सका था।

कारण जो भी है लेकिन यदि दर्ज अपराधों का आँकड़ा २०१२ से बढ़ गया है इसका सीधा अर्थ है कि पुलिस की ज़िम्मेदारियों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि संज्ञय अपराधों का अनुसंधान तो करना ही होगा। इसलिए, कारणों पर ध्यान देने के बजाय पुलिस को चाहिए कि अपनी जांच उचित रूप से पूरी करके दोषसिद्धि को बढ़ाएं ताकि अपराधियों के लिए कहीं न कहीं यह एक कठोर उदाहरण सिद्ध हो।

(सौजन्य : न्यूजलाईन डॉट कॉम, १४ जनवरी २०१४)

मध्य प्रदेश : लॉक अप के बगैर एक थाना

जनवरी के तीसरे सप्ताह में इंदौर के तेज़ाजी नगर थाने से एक १५ वर्षीय बच्ची से बलात्कार का आरोपी, भाग गया। हांलाकि, पुलिसवालों ने उसे कुछ किलोमीटर की दूरी से दोबारा पकड़ लिया।

इस घटना के बाद जब पत्रकारों ने उस थाना परिसर का मुआयना किया तब पता चला कि यह थाना सीमा रहित था अर्थात इसकी कोई चारदीवारी नहीं थी। यह थाना जुलाई २०१३ में शुरू किये गये ३ थानों में से एक है और इसका अब तक बगैर दीवार के रहना एक आश्चर्यजनक बात है।

राज्य में सुरक्षित और उच्च तकनीकी थाने की बात तो भूल जाएं, इंदौर–खंडवा के हाई–वे पर स्थित यह थाना अपनी स्थापना के ६ महीनों के बाद भी न केवल एक सुरक्षित अहाता बगैर कार्यरत है बल्कि इस थाने का सारा काम काज चौबीस घंटे, पुलिसकर्मी खुले आसमान के नीचे करने के लिए मजबूर हैं।

आज के इस दौर में जहां थाने कंप्यूटरीकरण द्वारा पूरी तरह कागज़ के बगैर हो चुके हैं, वहीं इस थाने को देखा जाए तब इसमें फर्नीचर तो नए मिलेंगे लेकिन इन्हें उचित रूप से रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और परिणामस्वरूप अधिकारी इसे खुले आकाश के नीचे उपयोग कर रहे हैं। इस थाने में कुल ३ कमरे हैं और केवल एक लैपटॉप, जिससे थाने का पूरा काम किया जाता है।

इन तीन कमरों में से एक कमरा थाना प्रभारी का है उसके साथ लगे कमरे से इकलौते लैपटॉप के माध्यम से संचार का सारा काम होता है, वही कमरा जांच अधिकारी का भी है, उसी कमरे को लॉक अप की तरह उपयोग किया जाता है। खतरनाक अपराधियों को ५ किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूसरे थाने में भेजा जाता है।

जब बलात्कार का आरोपी इस थाने से भागा था, उस समय वह दीवार रहित थाने में हथकड़ी लगे हुए ही शौच के लिए निकला था। इस थाने में न केवल भौतिक अवसंरचना की कमी है बल्कि इसे संपूर्ण कार्यभार को केवल ३७ पुलिसकर्मियों के साथ करना पड़ रहा है जबकि इस थाने के लिए अनुमोदित मानव संसाधन की संख्या १०३ पुलिसकर्मियों की है।

हांलाकि, थाने के कर्मचारी आगे आने वाले समय में इस बात के लिए आशावादी हैं कि पड़ोस के गांव के सरपंच और एक निजी बिल्डर की सहायता से थाने की ईमारत और आवश्यक अवसंरचना शीघ्र ही बन जाएगी। ध्यान देने की बात है कि इस थाने के अधिकार क्षेत्र में ८ किलोमीटर की परिधि के अन्दर आने वाले ९ गांव और एक शहर की सुरक्षा आती है।

जब थाने के पुलिस अधिक्षक से इस बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि तेज़ाजी थाने को चौकी से बढ़ाकर, कुछ महीने पहले ही थाना बनाया गया है, इसकी संरचना को पूरी तरह बनने में कुछ महीने और लगेंगे, जब उन्हें सरकार से इस काम के लिए आवश्यक धन राशी मिलेगी।

यह बेहद दु:खद और ख़तरनाक है कि ८ किलोमीटर की परिधि में आने वाले रिहाईशी ईलाकों की ज़िम्मेदारी उठाने वाले इस थाने को इतनी विषम कार्य–स्थिति में काम करना पड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि नई राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और इसे तुरंत बनवाया जाएगा।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २० जनवरी २०१४)

गुजरात पुलिस द्वारा अपनी छवि के पुनर्निर्माण का प्रयत्न

इन दिनों गुजरात पुलिस, बल को जन मैत्री पुलिस की छवि में बदलने के लिए प्रयत्नशील है। सी. आई. डी. के मित्र, साईबर अपराधों से जूझने के लिए कॉलेज के छात्र, सभी थानों में महिलाओं के लिए परामर्शदाता, सुरक्षा सेतू और अब लोगों को उच्चस्तरीय पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहने के लिए मोबाईल ऐपलीकेशन की सुविधा–राज्य पुलिस बल द्वारा जन–मैत्री पुलिस की छवि को प्रस्तुत करने की लिए उठाये गये यह कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

गुजरात के पुलिस महानिदेशक श्री पी. सी.ठाकुर ने कहा, "इन सभी अभियानों का उद्देश्य जनता तक पहुंच बनाना, उन्हें जानना और उनकी समस्याओं को तुरंत निदान करना है। हम पुलिस बल से रहस्य हटाना और सामान्य रूप से जनता की दृष्टि में पुलिस की छवि को सुधारना चाहते हैं।" पुलिस के शीर्ष अधिकारी इन दिनों कॉलेज के विधार्थियों और कॉरपोरेट जगत के लागों को स्वेच्छा से साईबर अपराधों को रोकने के लिए उनकी आँख और कान के रूप में काम करने के लिए शामिल कर रहे हैं।

आई.जी. श्री अनिल प्रथम के अनुसार 'इस अभियान को जनता का अदभुत सहयोग मिल रहा है। ६०० से भी अधिक लोगों की, इस प्रस्ताव के लिए संक्षिप्त सूची बना ली गई है। बहुत कम समय में राज्य के सभी गांव और शहरों को स्वंयसेवकों के इस इंटेलिजेंस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, जो साईबर अपराध से लड़ने में पुलिस की सहायता करना चाहते हैं।'

गुजरात पुलिस इन स्वंयसेवकों को एक पहचान पत्र और स्मार्ट मोबाईल फोन उपलब्ध कराएगी ताकि वह अपराधों के बारे में सूचना दे सकें और अपने वरिष्ठ सी.आई.डी. अधिकारियों से उचित समय पर संपर्क कर सकें।

महिला सुरक्षा समिति

हाल ही में, गुजरात सरकार ने राज्य महिला सुरक्षा समिति के कार्य–क्षेत्र को बढ़ा कर इसे सरकार, पुलिस और समाज के लिए एक संवादात्मक मंच बना दिया है। गांधीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, समिति को १९९० के शुरूआत में स्थापित किया गया था, २००२ तक यह व्यापक रूप से संवादत्मक हो चुका था। अभी इसे दोबारा पुलिस की विश्वसनीयता और महिला थानों को अधिक सशक्त बनाने और महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकने के मुद्दे पर काम करने का दायित्व दिया गया है।

सुरक्षा सेतु

आम आदमी के साथ विश्वास के खाई को भरने के लिए , राज्य पुलिस ने हाल ही में सुरक्षा सेतु की शुरूआत की है जिसका काम जनता की पुलिस से मदद लेने में सहायता करना होगा– शिकायत दर्ज कराना हो, घरेलु नौकर का पंजीकरण हो या इलाके में परेशान करने वाला लाउडस्पीकर हो। सभी ज़िलों में ऐसे सुरक्षा सेतुओं की स्थापना की जाएगी, और बाद में इसे थाना स्तर तक लाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने १०२ करोड़ रू. का बजट भी आवंटित कर दिया है।

पुलिस का सामाजिक लेखा परीक्षण

गुजरात पुलिस ने गैर सरकारी संगठनों से गुजरात के सभी थानों के अचानक वीक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं। राज्य पुलिस गुमशुदा बच्चों की खोज के लिए इन संगठनों की सहायता लेना चाहती है ताकि कर्तव्यनिष्ठ जनबल और सक्षम जूवनाईल पुलिस यूनिट की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस 'सामाजिक लेखा परीक्षण' का उद्देश्य थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है।

संवेदना परियोजना

राज्य पुलिस, महिला एंव बाल विकास विभाग के साथ मिलकर न्याय पाने के लिए आने वाली अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए एक परियोजना की शुरूआत कर रही है। राज्य के सभी ३३ जिलों के थानों में ६६ प्रशिक्षित काउंसलरों की पहचान कर ली गई है।

इसमें कोई शक नहीं कि गुजरात पुलिस द्वारा शुरू की जा रही कोशिशें सराहनीय हैं और अगर उपरोक्त सारे अभियानों को उनके उद्देश्यों में सफ़लता मिलेगी, इससे अन्ततः पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार होगा और परिणामस्वरूप जनता लाभान्वित होगी। लेकिन, ऐसे सभी प्रयत्न अचानक अभी ही क्यों प्रारम्भ किये जा रहे हैं? क्या यह सब राज्य सरकार द्वारा चुनावी वातावरण में वोट मांगने को न्यायसंगत बनाने के लिए नहीं है? यदि ऐसा नहीं है तब इनमें से कई उपायों पहले भी किये जा सकते थे। इससे यह भी पता लगता है कि पुलिस पर राजनैतिक नियंत्रण अवश्य ही होता है।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २० जनवरी २०१४)

मुंबई में किशोरों से जुड़े अपराधों के आँकड़े में बढ़त

मुंबई में, जहां २०१२ में किशोरों से संबंधित ७०० केस थे और २०११ में ७६६ केसों का आंकड़ा था। जनवरी २०१३–अक्टुबर २०१३ के बीच यह आँकड़ा १५ प्रतिशत बढ़ गया और औसतन किशोरों से संबंधित प्रतिदिन २ केसों को दर्ज किया गया।

सूचना के अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत किशोरों से संबंधित मांगी गई सूचना से पता चला है कि २०१३ में, २८ बलात्कार के केसों में, ४५ छेड़खानी के केसों में, १५ अपहरण और व्यपहरण के केसों में, १० यौन प्रताड़ना के केसों में, २३९ पीड़ाजनक चोट, १७९ चोरियों और ८१ बर्ग्लरी के मामलों में किशोर शामिल रहे थे।

गलगली के अनुसार अदालत द्वारा सिद्ध दोषियों के बारे में पुलिस के पास कोई आँकड़ा नहीं है। जबकि उन्हें यह भी लगता है कि यदि पुलिस के पास किशोर सिद्धदोषियों का आँकड़ा हो, इससे किशोर अपराधियों को रोकने में पुलिस की सहायता हो सकेगी।

किशोरों द्वारा अपराधों में लिप्त होना न केवल पुलिस के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए चिंता का विषय है और शायद यह *किशोर न्याय (देखरेख व संरक्षण) अधिनियम* के प्रावधानों पर पुनःविचार करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम १० फरवरी २०१४)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org